निवासी मंडावरी तहसील बेगूँ — वादी

बनाम

बलाई निवासीदेवलि तहसील माण्डलगढ़
बालु बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ प्रतिनिधी राज0 राज्य
प्यारीबाई बेवा रामा जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी
श्री एस.सी.टेलर
अधिवक्ता प्रति.1,2,3
श्री निलेश चेचाणी
अधिवक्ता प्रति.5,6

निर्णय दिनांक ::— 22.09.2023

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वेदन किया कि मौजा मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी में निम्न कृषि आराजीयात वादी के गोद ता मु. प्यारी बेवा दौला जी के एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त सहखातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में र्ज है। कृषि आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:—

तौनी संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
39	665	0.526
	666	0.308
	667	0.809
	668	0.486
	669	0.543
	1323	0.202
	किता—6 रकबा	2.874 हैक्टर
241	664	1.3520
	670	1.238
	1768 / 682	0.486
	किता—3 रकबा	3.0760 हैक्टर

यह कि वादी एव प्रतिवादीगण का वंशवृक्ष (शजरा) निम्न प्रकार से है:—

देवा
|
बालू — धापू
भैरू — घीसा, गोपाल
जोधा — रामा
दौला — प्यारी — मदनलाल
रामा — मदन, बाबू, सजनी, एजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] यह कि बाल्यकाल्य से वादी दौला जी प्यारीबाई के साथ निवासी करता आ रहा है [illegible] कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग वादी ही करता आ रहा है एवं आज भी वादी [illegible] में है। मृतक दौला जी प्यारीबाई के जीवितास्था में उनकी सेवा सुश्रुषा वादी ने [illegible] उनकी मृत्यु पश्चात उनके समस्त सामाजिक संस्कार वादी ने पुत्र की हैसीयत से निष्पादित [illegible]

यह कि वादी अपने गोद माता पिता के साथ ही निवासी करने से वादी के समस्त राजकीय दस्तावेजो जैसे पहचान पत्र बैंक बिजली बिल आधार कार्ड आदि में वादी के पिता नाम दौला ही लिखा हुआ है इस प्रकार वादी मृतक दौलता व प्यारीबाई का एक मात्र उत्तराधिकारी होने से मृतको के नाम दर्ज भूमि अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी होने से वादी का यह वाद घोषणा हेतु प्रस्तुत है। यह कि वादी बिल्कुल अनपढ होने एवं कानून संबंधी जानकारी नहीं होने से मृतको के जीवितावस्था में उनसे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करवा सका था जब उक्त दोनों मृतको की मृत्यु उपरांत जब वादी पटवारी हल्का मण्डावरी के पास उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात को अपने नाम करवाने हेतु गया तो जानकारी हुई व वादी को उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात अपने नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

वाद कारण दिनांक 14.07.2015 को पटवार हल्का के पास नामान्तरण की कार्यवाही करवाने जाने एवं पटवार हल्का से नकल जमाबंदी प्राप्त करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद अन्दर अवधि श्रीमान को प्रस्तुत है , वाद घोषणा का होन`से एवं राजस्व वाद में श्रीमान भूमिधारी जी एवं जिला कलक्टर महोदय आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:–

(क) कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिकी फरमाई जावे कि मौजा मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी की वाद वर्णित आराजी संख्या 665, 666, 667, 668, 669, 1323, 664, 670, 1768/682 कृषि आरीयात में मृतक प्यारीबाई पति दौला जी के स्थान पर गोदपुत्र वादी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जावें।

(ख) कि वाद व्यय एवं वकील महनताना भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वादी का यह वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के उपरान्त बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1,2, व 3 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री एस.सी.टेलर द्वारा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया , प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये जबकि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर स अधिवक्ता श्री निलेश चेचाणी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में दर्शाया गया सजरा गलत है, वास्तविक सही सजरा अपने जवाब में अंकित करते हुए देवा के पुत्र बालू, भैरू, मेघा, जोधा, दौला व रामा होना अंकित किया है। मेघा व जोधा तथा दौला को लाऔलाद फोत होना अंकित किया है जबकि दौला की पत्नी प्यारीबाई का नाम अंकित किया जिन्हें फोत होना बताया है।

वादपत्र की कलम संख्या 3 का जवाब इस प्रकार है कि वादी ने मनगढन्त तथ्य इस कलम में दर्शायी है । वादी को कभी भी किसी के यहा गोद नही रखा अगर वादी को बाल्यावस्था में ही स्व0दौला के गोद रखा होता तो दौला की मृत्यु परान्त दौला की आराजीयात में मु0 प्यारी के साथ साथ वादी का नाम भी अवश्य दर्ज होता। यह नहीं किसी भी दस्तावेज में वादी के पिता का नाम सन 2004 तक गोद पिता का नाम नहीं रहा तो वादी का [illegible] आप गलत हो जता है कि वादी को बाल्यावस्था में गोद रखा हो या कोई गोद की [illegible] अदा हुई हो। वादी कहा रहता है क्या करता है इससे प्रतिवादीगण को कोई [illegible] देना नही [illegible] वादी के कह देने मात्र से किसी का कोई गोदपुत्र नहीं हो जाता । गोद [illegible] एवं जो प्रकिया है उसका किसी भी तरह से पालन नहीं हुआ है क्यो कि वादी [illegible] रहा ही नही तो ऐसा होना संभव भी नहीं था । वादी ने सारे कथन गलत व मनगढन्त लिखे है जो खारिज काबिल हैं।वादी दौला जी व प्यारी की सम्पत्ति हडपने के लिये वाद लाये है यह नहीं पटवारी हल्का द्वारा जो कार्यवाही की गई वह पूर्णरूप से विधिनुरूप की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

... होकर खारिज होने योग्य है।

... के विशेष कथन में अंकित किया है कि वाद वर्णित आराजीयात बैंक के रहन होने ... नहीं बनाये जाने के कारण वाद वादी खारिज होने योग्य है। यह कि वाद वर्णित ... की जमाबंदी की नकल में भी मदनलाल के पिता का नाम भी रामा ही अंकित है ... खारिज होने योग्य हैं। यह कि वादी के कथनानुसार जब बाल्यावस्था में ही गोद ... फोत का इंतकाल सन 2015 में खुला उसमें भी रामा के बजाय मदनलाल वगैरह ... अंकित कैसे हो गया इसलिये भी वादी का वादपत्र खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

जवाबदावा प्रतिवादीगण का प्राप्त होने के पश्चात पत्रावली में निम्न लिखित तनकी पत्र ... से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गयाः—

1— आया कि मौजा मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी की वाद वर्णित आराजी संख्या 665, 666, 667, 668, 669, 1323, 664, 670, 1768/682 कृषि आराजीयात में मृतक प्यारीबाई पति दौला जी के स्थान पर गोदपुत्र वादी का नाम दर्ज किये जाने का वादी अधिकारी है? जिम्मे वादी

2— आय कि वाद वर्णित आराजीयात के संबंध में वादी द्वारा बताये गये तथ्य गलत एवं मनगढन्त है वादी मृतक प्यारी बाई का गोदपुत्र नहीं है बल्कि प्यारीबाई की सम्पत्ति हडपने के लिए झूठा वादपत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है? जिम्मे प्रति 1,2,3

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने पर यह पत्रावली वादी साक्ष्य में विचाराधीन थी, किन्तु इस पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा से प्रकरण डिक्री किये जाने का प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादी की ओर से वाद मृतक प्यारी बेवा दौला जी का हक हिस्सा की भूमि गोद पुत्र होने से वादी के नाम घोषणा किये जाने बाबत अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है।

यह कि मृतक प्यारी बेवा दौला जी एवं दौला जी का गोद पुत्र वादी होकर समाज रिवाज अनुसार वादी को गोद लिया था इसी कारण वादी के सभी सरकारी दस्तावेजो में पिता के नाम के आगे दौला जी अंकित है। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होकर पारिवारिक मनमुटाव के कारण यह वाद प्रस्तत करने की आवश्यकता हुई थी अब समाज मौतबीरान एवं रिश्तेदारो द्वारा समझाईश करा देने से दोनो पक्षो में राजीनामा हो चुका है, मृतक प्यारी बेवा दौला जी बलाई की विरासत वादी के नाम किये जाने बाबत किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मृतक प्यारी बेवा दौला का वादी ही बहैसियत गोद पुत्र एक मात्र वारिस है एवं उसके हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा है।

यह कि वादी दौला जी के गोद चले जाने से प्राकृतिक पिता रामा जी की विरासत प्राप्त करन का अधिकारी नहीं रहा है जिससे वादी का रामा जी की विरासत से जो नाम लगा वह डिलिट किया जाना भी न्यायोचित है। यह कि प्यारीबाई बेवा दौला जी बलाई निवासी मंडावरी के हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत हम वादी एवं प्रतिवादीगण सभी सहमत है एवं यह अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु साथ ही वादी का नामा रामा जी की विरासत दर्ज से डिलिट किये जाने हेतु यह राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है। अब हमारे इस बाबत कोई विवाद नहीं रहा है।

अतः प्रार्थना है कि जरिये राजीनामा वादी का वाद डिक्री फरमा वादी को मृतक प्यारी बेवा दौला जी बलाई के हिस्से की भूमि का बहैसियत गोद पुत्र होने से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाने एवं वादी का नाम रामा जी की विरासत से दर्ज से हटाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

प्रस्तुत राजीनामा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया तथा राजीनामा पर हस्ताक्षर वादी एवं प्रतिवादीगण के होकर उन्हें हमारे द्वारा सुना गया, इस वाद पत्र को वादी के गोदपुत्र माना जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाने पर किसी को भी आपत्ति नहीं ... वादी का नाम प्यारीबाई बेवा दौला जी की कृषि भूमि में बहैसियत गोदपुत्र घोषित ... पर ... वादी मदनलाल का हक उनके प्राकृतिक पिता रामा जी विरासत में नहीं ... सकता है जिस ... का आदेश दिये जाने पर भी सभी सहमत है। वाद पत्र को स्वीकार किया जाने से ... है कि वादी द्वारा जो दस्तावेज अपने गोदपुत्र होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये है ... अवलोकन हमारे द्वारा किया जावें, सो हमारे द्वारा जिन दस्तावेज का अवलोकन किया गया है वह इस प्रकार से हैः— भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की सत्यप्रति जिसमें क्रम संख्या 882 पर वादी मदन का नाम अंकित होकर उनके पिता रामा का नाम अंकित है। नकल जमाबंदी मौजा मण्डावरी के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

...र नोट अंकित किया हुआ है कि नामान्तरण संख्या 2350 ...
... एजनबाई सजनीबाई पिता रामा प्यारीबाई बेवा रामा बलाई दर्ज हुआ है। यानि
... के प्राकृतिक पिता की विरासत में वादी का नाम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार
...वादी मौजा मण्डावरी के खाता संख्या 323 में अंकित आराजी संख्या 665,666, 667, 668,
... किता–6 कुल रकबा 2.874 हैक्टर मे भी लालस्याही से नोट अंकित किया है कि
... संख्या 2349 विरासत से रामा फोत के बजाय मदनलाल बाबूलाल एजनबाई सजनीबाई
... प्यारीबाई बेवा रामा बलाई का नाम दर्ज हुआ । इस प्रकार इस खाते में भी वादी का नाम
...कृतिक पिता की विरासत में लगाया गया है। वादी द्वारा सहकारी किसान कार्ड प्रस्तुत
...जिसमें वादी मदनलाल के गोदपिता दौला का नाम अंकित दर्ज है। परिवार राशनकार्ड में भी
...दनलाल के गोदपिता दौला का नाम अंकित है। सामाजिक सहायता कार्ड में भी वादी
...दौला बलाई व वादी मदनलाल का नाम अंकित हैं , जॉब कार्ड में भी मदनलाल के पिता का
...ना अंकित हैं। अजमेंर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिल में भी वादी मदनलाल के पिता
... दौला अंकित किया हुआ हैं , तहसीलदार बेगूं द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में भी
...ल बलाई पिता दौला बलाई का नाम अंकित है। आवासीय भूमि का पट्टा भी मदनलाल पिता
...लाई के नाम से अंकित है। निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में भी वादी
...ल के पिता का नाम दौला अंकित है। भारतीय जीवन बीमा की पॉलीसी में भी मदनलाल के
...ा नाम दौला अंकित होकर पॉलीसी जारी की हुई है। मेघवंशी समाज सुधार कमेटी द्वारा भी
...ो गोद रखे जाने के सम्बन्ध में लिखकर दिया है। ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा भी प्रमाण पत्र
...े लिये जारी किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र प्यारीबाई में प्यारी के पति का नाम दौला जी बलाई
... हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से बकाया नहीं प्रमाण पत्र भी वादी मदनलाल पुत्र
...जी बलाई के नाम पर जारी किया हैं साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र दौला व गोदपुत्र बाबत लिखित
...ज , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की बैंक पास बुक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा
...न द्वारा जारी प्रमाण पत्र मदनलाल पिता दौला के नाम से जारी है। यह सभी मूल ही
...ज वादी द्वारा इस दावा पत्रावली में प्रस्तत किये है।

प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर एवं प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से वादी का वाद
...ोद पुत्र के आधार पर वादी के पक्ष में स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजीनामा वादी
...तिवादीगण के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा मण्डावरी पटवारी हल्का मण्डावरी की
... वर्णित आराजी संख्या 665, 666, 667, 668, 669, 1323, 664, 670, 1768/682 कृषि
...जीयात में मृतक प्यारीअबाई पति दौला जी के स्थान पर गोदपुत्र वादी मदनलाल पुत्र दौला
...लाई निवासी मण्डावरी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय अनुसार
... का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री की
...वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गयां।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 108/2015

[illegible] पिता दौला बलाई निवासी मंडावरी तहसील बेगूँ — वादी

बनाम

[illegible] जाति बलाई निवासीदेवलि तहसील माण्डलगढ़
[illegible] पिता बालु बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
[illegible] पिता मैरू जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
[illegible] पिता मैरू जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
[illegible] पिता रामा जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
[illegible] पिता रामा जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
[illegible] पिता रामा जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
7— श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
8— श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ प्रतिनिधी राज0 राज्य
9— श्रीमती प्यारीबाई बेवा रामा जी जाति बलाई निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ — प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0 काश्त0 अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री एस.सी.टेलर एवं निलेश चेचाणी की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.09.2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है:—

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा मण्डावरी पटवारी हल्का मण्डावरी की वाद वर्णित आराजी संख्या 665, 666, 667, 668, 669, 1323, 664, 670, 1768/682 कृषि आराजीयात में मृतक प्यारीअबाई पति दौला जी के स्थान पर गोदपुत्र वादी मदनलाल पुत्र दौला जी बलाई निवासी मण्डावरी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय अनुसार वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। दावा अंतिम डिकी किया जाता है। डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जावें।

यह अन्तिम डिकी आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
दिनांक ::—12.12.23

क्रमांक/सरिश्ता/2023/ 472

प्रतिलिपि अंतिम डिकी की तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested